(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 45/2024
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 03.06.2024

रामरतन पुत्र रायचन्द जाति कुम्हार, निवासी ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी, जिला दूदू। प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर, राज.। अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री शिवराज चौधरी वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट इन्द्राज दुरूस्ती बाबत

निर्णय दिनांक:– 03.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 87 के आराजी खसरा नं. 47 रकबा 1.6059 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज, पटवार हल्का नीमेडा, भू.अभि.नि. क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी जिला दूदू राज. में स्थित है। जिसमें प्रार्थी खातेदार काश्त है एवं प्रार्थी उक्त हिस्से का एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिसके पूर्व खातेदार काश्तकार प्रार्थी के पिता रायचन्द रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण सं. 1310 दिनांक 20/06/2023 से जरिये विरासतन प्रार्थी व अन्य के नाम दर्ज हुई तथा उक्त खसरा नं. 47 की 3/16 हिस्से की भूमि का प्रार्थी की माता पॉची देवी पत्नी रायचन्द ने उक्त आराजी क्रय की जिसका विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक 29/05/2015 को तस्दीक करवाते समय प्रार्थी की माता के नाम के आगे प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से पॉची देवी पत्नी रायचन्द के स्थान पर पॉची देवी पत्नी रामचन्द्र गलत इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थी की माता पॉची देवी पत्नी रायचन्द सही नाम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में आधार कार्ड, प्रार्थी की माता पॉची देवी व पिता रायचन्द के मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा राजस्व रिकार्ड की अन्य जमाबंदी से पूर्णतया सिद्ध होता है कि प्रार्थी की माता के आगे पिता का नाम पॉची देवी पत्नी रायचन्द है इसलिये प्रार्थी की माता के नाम के आगे पिता का नाम रामचन्द्र की जगह रायचन्द राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये प्रार्थी उक्त आराजीयात को दुरस्ती इन्द्राज करवाने

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

का अधिकारी है। प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसको विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाते समय अपनी माता के आगे पिता का नाम सहवन से रामचन्द्र गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 26/04/2024 को प्रार्थी अपनी माता के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण खुलवाने पटवारी हल्का नीमेडा के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में तो तुम्हारी माता के नाम के आगे पिता का नाम रायचन्द के स्थान पर रामचन्द्र नाम दर्ज है नाम दुरूस्त होने पर विरासत का नामान्तकरण खोलने का आश्वासन दिया। प्रार्थी अपनी माता के नाम के आगे पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी ने दिनांक 29/04/2024 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता के नाम के आगे पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी काश्तकार व अनपढ व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिप्रार्थी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 29/04/2024 को प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की माता के आगे पिता के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवाद पत्रग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश कर बताया कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम श्रीरामगंज संवत 2076–79 से स्थायी के खाता संख्या 87 के खसरा नंबर 47 रकबा 1.6059 हैक्टेयर में प्रार्थी रामरतन पुत्र रायचन्द जाति कुम्हार हिस्सा 9/320 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के नाम भूमि नामान्तकरण संख्या 1310 दिनांक 20.06.2023 जरिये विरासत के दर्ज हुई थी। वर्तमान जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 3/16 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र पॉचीदेवी के नाम दर्ज हुई है। विक्रय पत्र पृष्ठ स. 194 कम सं. 2015002703 द्वारा पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र जाति कुम्हार द्वारा श्रीकिशन पुत्र केसरा से 1/16 भूमि क्रय की गई थी। इसी प्रकार विक्रय पत्र रसीद नं. 2006000905 दिनांक 25.05.2006 के द्वारा पॉची देवी पत्नि रायचन्द द्वारा सत्यनारायण, सुन्दर, श्योजीराम पिता कल्याण, स्याणी बेवा कल्याण खसरा नं. 47 मे 1/8 भूमि का कय किया गया था। इसी प्रकार से वर्तमान जमाबन्दी में 3/16 भूमि पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र कम सं. 2015002703 में पॉची देवी धर्मपत्नि रामचन्द्र दर्ज है जबकि विक्रय पत्र रसीद नं 2006000905 दिनांक 25.05.2006 मे पॉची देवी धर्मपत्नि रायचन्द्र दर्ज है। पटवारी हल्का निमेडा द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार ग्रामवासियो ने बताया कि पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र व पॉची देवी पत्नि रायचन्द्र एक ही महिला है तथा गॉव मे इस नाम की दूसरी महिला नहीं होना बताया है। अतः उक्त महिला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं0 87 मे प्रार्थी की माता का नाम पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 3/16 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार व खाता सं0 86 में प्रार्थी की माता का नाम पॉचीदेवी पत्नि रायचन्द हिस्सा 3/20 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र व पॉची देवी पत्नि रायचन्द एक ही महीला होने का कथन किया है। प्रार्थी को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे एवं तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब मय फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी की माता का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 87 के आराजी खसरा नं. 47 रकबा 1.6059 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज, पटवार हल्का नीमेडा, भू.अभि.नि. क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी जिला दूदू मे स्थित

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(4)

आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन पॉची देवी पत्नि रामचन्द्र के स्थान पर पॉची देवी पत्नि रायचन्द दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला– दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला– दूदू